पत्रांक-भवन/बजट-65-योजना(विधि)-02/2018-19. . . . 815 (a)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकर (ले एवं हक), बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना,दिनांक:- 22/1/26

विषय:- विधि विभाग से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्त्तमान **वित्तीय वर्ष 2025-26** में कुल राशि **₹ 61,31,248/- (इकसठ लाख इकतीस हजार दो सौ अड़तालिस रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत ।

कार्यपालक अभियंता/विद्युत कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाइन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में विधि विभाग से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल राशि **₹ 61,31,248/- (इकसठ लाख इकतीस हजार दो सौ अड़तालिस रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति **वित्तीय वर्ष 2025-26** में प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई0डी0	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
01.	विद्युत भवन प्रमंडल, छपरा	28500	NEW A.C WIRING & POWER WIRING IN 16 COURT (G+5) BUILDING CIVIL COURT CAMPUS AT SIWAN , DISTRICT- SIWAN	4353/ 15.07.25	1351888 (तेरह लाख इक्यावन हजार आठ सौ अठासी रूपये)
02.	भवन प्रमंडल, गोपालगंज	28377	व्यवहार न्यायालय, गोपालगंज परिसर के विभिन्न भवनों यथा पुराने कोर्ट भवन FTC, Child Court, Excise Court आदि में Fire Fighting का कार्य	6431/ 09.10.24	3813157 (अड़तीस लाख तेरह हजार एक सौ संतावन रूपये)
03.	विद्युत भवन प्रमंडल, दरभंगा	27792	Provision of Separate main submain & DB to E/W & E/I of installed A.C. & Computer of 12 Court at Civil Court, Begusarai	4341/ 15.07.25	966203 (नौ लाख छियासठ हजार दो सौ तीन रूपये)
			कुल राशि		6131248

(इकसठ लाख इकतीस हजार दो सौ अड़तालिस रूपये)

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-051-निर्माण, उपशीर्ष-0105-न्यायिक भवन हेतु (विधि विभाग के लिए) **विपत्र कोड-03-4059800510105** के विषयशीर्ष-53-मुख्य निर्माण-0105.53.01-मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत वर्त्तमान **वित्तीय वर्ष 2025-26** में किया जायेगा।
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता/विद्युत कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी ।
5. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।
6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।